प्रेसनोट

दिनांक 04.07.2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्यौहार मोहर्रम, श्रावण मास, रक्षाबंधन को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिला पंचायत सभागार में जनपद के समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, संभ्रान्त व्यक्तियों व धर्मगुरूओं के साथ की गयी सेंट्रल पीस कमेटी की बैठकः-

आज दिनांक 04.07.2024 को जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की अध्यक्षता में आगामी त्यौहार मोहर्रम, श्रावण मास, रक्षाबंधन के दृष्टिगत जिला पंचायत सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की गयी। मीटिंग में समस्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ-साथ सभी वर्गो के सभ्रांत व्यक्ति व धर्मगुरु सम्मिलित हुए। इस दौरान त्यौहार की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई व संभ्रांत व्यक्तियों/धर्मगुरुओं से सुझाव भी लिए गए एवं अमल में लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। त्यौहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया गया। सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की गई । त्योहारों में कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। त्यौहार परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। त्योहारों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही की जायगी।

महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि त्यौहार में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए है। पुलिस लोगों की सुरक्षा हेतु सजग एवं कटिबद्ध है, त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन/कार्यक्रम नहीं किए जायेगें। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर/पीए सिस्टम की ध्वनि माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइंस के अनुसार कम कर ली जाए, उसकी ध्वनि संबंधित धार्मिक स्थल के परिसर के बाहर नहीं जाए। साथ ही साथ महोदय द्वारा बताया गया कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस यात्रा नहीं निकाला जाएगा। मोहर्रम जूलूसों में भारी संख्या में लोग सम्मलित होते है। जूलूसों में सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से पुलिस प्रबन्ध किया जायेगा। जुलूस में बाक्स फार्मेट में चारो तरफ आगे पीछे व दोनो तरफ पुलिस फोर्स की लगायी जायेगी। सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेकर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर लगातार चेकिंग करायी जाये तथा कस्बों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सादी व वर्दी में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाये। सभी थाने प्रातःकाल पुलिस पार्टी/पोस्टर पार्टी संघन चेकिंग के लिए नियमित रूप से निकाली जाये। अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। महोदय द्वारा नगर पालिका व नगर पंचायत को त्यौहार के दृष्टिगत नालियों की साफ-सफाई व मलबों के उचित निस्तारण की व्यवस्था करने, पानी तथा बिजली की अनवरत आपूर्ती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए ।

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी, जनपद के विभिन्न पुलिस/प्रशासनिक अधिकारीगण सहित संभ्रांत व्यक्ति/धर्म गुरु मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2024, कोतवाली कर्नलगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के 04 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित थाना को0 कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0- 332/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 04 आरोपी अभियुक्तों- 01. अशरफ, 02. संतोष कनौजिया, 03. मोहम्मद अतीक 04. जुनैद को धौरहरा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री इबरार हुसैन पुत्र मकबुल अहमद निवासी ग्राम कुन्दनपुर मौजा मौहर थाना को0कर्नलगंज जनप गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज पर सूचना दिये कि दिनांक 01.07.2024 को वह अपनी स्पलेण्डर नीला रगं मोटर साइकिल UP43AD3966 से गौरा बाजार में खड़ी करके समान लेने चला गया। वापस आया तो उक्त गाड़ी को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था, तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में मु0अ0सं0- 332/24, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मोटरसाइकिल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 04.07.2023 को थाना को0कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये 04 आरोपी अभियुक्तों-01. अशरफ, 02. संतोष कनौजिया, 03. मोहम्मद अतीक व 04. जुनैद को धौरहरा रेलवे क्रासिंग स्थित खण्डहर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर मोटरसाकिल चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अशरफ पुत्र शरीफुल निवासी हरिचन्दा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच ।
02. संतोष कनौजिया पुत्र जोगिन्दर निवासी धर्मपुर करमैतीपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर।
03. मोहम्मद अतीक पुत्र मो0 अनीश निवासी कोनहटा को0 कर्नलगंज जनपद गौंडा।
04. जुनैद पुत्र परवेज निवासी भवानीपुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच ।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0- 332/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0, थाना को0कर्नलगंज, जनपद- गोण्डा

अनावरित अभियोगः-

01. मु0अ0सं0- 336/24 धारा 317(2) बी0एन0एस0, थाना को0कर्नलगंज, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. UP32MB8515 TVS APACHE RTR 160
02. UP32FL5395 PASSION PRO
03. UP32GR4985 HERO SUPER SPLENDOR
04. UP43AD3966 SPLENDOR PLUS

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह
02. उ0नि0 बृजेश कुमार सिंह

03. हे0का0 अरविन्द सिंह
04. का0 पंकज सिंह
05. का0 दिली सिंह,
06. का0 ऋषिकेश यादव
07. का0 अंगद कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 320/2024, धारा 64, 351(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त हनुमान उपाध्याय पुत्र स्व0 रामसरोज निवासी ग्राम रोइहनपुरवा मौजा पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पुलिस के द्वारा धर्मनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना परसपुर पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिग लड़की को उसके पिता द्वारा जबरजस्ती दुराचार किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में मु0अ0सं0- 320/2024, धारा 64, 351(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम हनुमान उपाध्याय के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 04.07.2024 को वांछित हनुमान उपाध्याय पुत्र स्व0 रामसरोज निवासी ग्राम रोइहनपुरवा मौजा पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा को धर्मनगर चौराहे के पास को थाना परसपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. हनुमान उपाध्याय पुत्र स्व0 रामसरोज निवासी ग्राम रोइहनपुरवा मौजा पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 320/2024, धारा 64, 351(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. का0 रमाकन्त पटेल,
03. का0 आनन्द अग्रहरि

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2024, मॉनीटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 12,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मार पीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तो को 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रु० 12,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मार पीट के आरोप में अभियुक्तो 01. सुभवन कोरी, 02. दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर का0 दिपांशु सिंह व थाना नवाबगंज के पैरोकार अरूण कुमार गोड़ द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोण्डा द्वारा 05-05 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रु० 12,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. सुभवन कोरी पुत्र झगरू निवासी किदाईपुर थाना नवाबंगज, जनपद गोण्डा।
02. दिलीप पुत्र झिनकू निवासी किदाईपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -141/2020 धारा 323, 308, 504, 506 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.07.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अभियुक्त को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी परागदत्त चौहान पुत्र साधू चौहान निवासी बरुआमाफी थाना मोतीगंज जनपद- गोण्डा को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त परागदत्त चौहान पुत्र साधू चौहान निवासी बरुआमाफी थाना मोतीगंज जनपद- गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक व थाना वजीरगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर का0हरेश कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय द्वारा अभियुक्त परागदत्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. परागदत्त चौहान पुत्र साधू चौहान निवासी बरुआमाफी थाना मोतीगंज जनपद- गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-885/2017, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2024, मॉनीटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से जान मारने की नियत से मारपीट व बलवा करने के 09 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 22,600/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप जान से मारने की नियत से मारपीट व बलवा करने के 09 आरोपी अभियुक्तो को 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रु० 22,600/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा जान मारने की नियत से मार-पीट व बलवा करने के आरोप में 09 अभियुक्तो 01. अमित वर्मा, 02.
02. मन्टू उर्फ दिनेश वर्मा, 03. शमीम शेख उर्फ ताज, 04. लल्ला, 05. जमील, 06. मो0तारिक, 07. सादिक, 08. श्रवण, 09. राहुल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 चन्दा देवी व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोण्डा श्री रामदयाल महोदय गोण्डा द्वारा 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रु० 22,600/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. अमित वर्मा पुत्र जगदीश निवासी राधाकुण्ड, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मन्टू उर्फ दिनेश वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा निवासी राधाकुण्ड, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
03. शमीम शेख उर्फ ताज पुत्र मो0वसीम निवासी अहिरान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
04. लल्ला पुत्र रज्जनबाबा निवासी महराजगंज, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
05. जमील पुत्र समीउल्ला निवासी राधाकुण्ड थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
06. मो0तारिक पुत्र नियाज अहमद निवासी रिकाबगंज थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
07. सादिक पुत्र मो0तारिक निवासी रिकाबगंज थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
08. श्रवण पुत्र मंगललाल निवासी राजामोहल्ला थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
09. राहुल कश्यप पुत्र बजरंगी कश्यप निवासी राजा मोहल्ला थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -659/2015 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 505, 506, 336, 332, 353, 296, 188 भादवि व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।